तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज प्रेमाराम सुथार बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) **सू.अ.अ. अपील संख्या 04 / 2020**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.01.20	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी प्रेमाराम सुथार पता 121, मेन रोड़ आंगणवा, पोस्ट सुरपुरा, मण्डोर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.11.2019 में उसके द्वारा (1) नेशनल हाईवे नम्बर 65 का भू अवाप्ती के संबंध में जो नक्शा एसडीएम के आदेश से बनाया गया उसकी प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 57 दिनांक 17.01.19 रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमे जाहिर किया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी जोधपुर कार्यालय से संबंधित होने के कारण धारा 6(3) के तहत स्थानान्तरित करते हुए मूल प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को कार्यालय के पत्रांक 1607 दिनांक 26.11.19 के द्वारा भिजवाया गया तथा उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा सूचना नहीं दी गई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	